तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 18 / 2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.21	अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह, पता गांव पोस्ट तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.12.2020 में उसके द्वारा (1) दिनांक 10.11.2020 जरिये स्पीड पोस्ट ईआर 988398332 प्रमाणित प्रतिलिपि सीमांकन रिपोर्ट मय नक्शा गांव तापू के खसरा नम्बर 497 व 423 जो सन् 2012, 2013 हलका पटवी व भू.अ.नि द्वारा सीमाकन किया गया प्रमाणित प्रतिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	